भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1118
सोमवार,26जुलाई,2021/4 श्रावण, 1943(शक)

जम्मू और कश्मीर में रिक्त पद

1118.श्री के. नवासखनीः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या जम्मू-कश्मीर में रिक्त सरकारी पदों की संख्या 80,000 से अधिक है;

(ख) सरकार द्वारा रिक्त सीटों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) क्या 5 अगस्त, 2019 से जम्मू-कश्मीर में लगभग पांच लाख लोगों की नौकरी चली गई है;

(घ) क्या सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के अनुसार, जनवरी 2016 और जुलाई 2019 के बीच जम्मू-कश्मीर में मासिक औसत बेरोजगारी दर 15 प्रतिशत से अधिक थी, जोकि इस अवधि के दौरान 6.4 प्रतिशत की राष्ट्रीय मासिक औसत बेरोजगारी दर के दोगुनी से भी अधिक थी; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ङ): गृह मंत्रालय (एमएचए) के माध्यम से जम्मू और कश्मीर सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, जम्मू और कश्मीर सरकार ने तत्काल आधार पर भरने हेतु रिक्तियों की पहचान करने तथा सभी स्तरों पर पालन की जाने वाली प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से त्वरित भर्ती समिति (एआरसी) का गठन किया है।

समिति ने चरण-**I** में विभिन्न विभागों में समूह- **IV** की दस हजार रिक्तियों की पहचान की जिसमें से 8575 रिक्तियां पहले ही बोर्ड द्वारा समूह- **IV** (विशेष भर्ती) पर जम्मू और कश्मीर नियुक्ति नियम, 2020 के प्रावधानों के तहत विज्ञापित कर दी गई है। त्वरित भर्ती अभियान के चरण- **II** के अंग के रूप में, समिति ने 12,379 राजपत्रित एवं गैर-राजपत्रित रिक्तियों की पहचान की है। एआरसी के अलावा, 3694 अन्य राजपत्रित एवं गैर-राजपत्रित रिक्तियों को भी भर्ती हेतु चिन्हित किया गया है।

जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में अगस्त, 2019 पश्च काल में सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। जम्मू और कश्मीर सरकार ने रोजगार प्रदान कराने हेतु निम्नलिखित अतिरिक्त कदम उठाए हैं:-

i. मिशन युवा के तहत जम्मू और कश्मीर के युवाओं को सर्वांगीण विकास प्रदान कराने हेतु 2021-22 के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस पहल के तहत ,"मुमकिन" नामक एक कार्यक्रम पहले ही प्रारंभ किया जा चुका है जिसके तहत परिवहन क्षेत्र में स्व-रोजगार उद्यम की स्थापना हेतु पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

ii. बैक टू विलेज कार्यक्रम के तहत, 17,000 से अधिक बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता क्षेत्र में उधार के तहत जम्मू और कश्मीर बैंक के माध्यम से स्व-रोजगार उद्यमों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

iii. "हिमायत" योजना के तहत, 20,827 अभ्यर्थियों ने अपना प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है तथा 7,076 अभ्यर्थियों को रोजगार प्रदान कर दिया गया है।

iv. जम्मू और कश्मीर सरकार का श्रम एवं रोजगार विभाग संघ राज्यक्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार सृजन हेतु निम्नलिखित स्व-रोजगार योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा हैः

   क. सीड पूंजी निधि योजना

   ख. युवा स्टार्टअप ऋण योजना

   ग. महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम

v विद्यार्थियों की नियोजनीयता में सुधार करने तथा उनको उद्यमी बनने में भी सहायता के लिए उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक प्रयोगशालाओं की स्थापना के साथ व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है।

vi जम्मू और कश्मीर सरकार के विद्यालय शिक्षा विभाग ने एक ऑनलाइन पोर्टल (चरण- Iमें उद्यमपुर एवं गंदरबाल, दो जिलों को शामिल करते हुए) प्रारंभ किया है जिसमें 30,000 से अधिक विद्यार्थियों ने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर लेने के उपरांत अपने भविष्य के लक्ष्यों के चयन में अपनी रूचि पंजीकृत की है, इसके अतिरिक्त, आधुनिक आवश्यकता के साथ विद्यालयों में नए तकनीकी विषयों को आरंभ करना जो शिक्षित युवाओं की नियोजनीयता को बढ़ाएगा।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा 2019-20 के दौरान आयोजित किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणामों के अनुसार, जम्मू और कश्मीर में सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) आधार पर बेरोजगारी दर (सभी व्यक्तियों हेतु सभी आयु समूहों के लिए) 6.7 प्रतिशत थी जो कि कई अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है।

*****